

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास-खण्ड डुण्डा में डुण्डा कुराह मोटर मार्ग से जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण (पुनरीक्षित) प्रस्ताव।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत डुण्डा कुराह मोटर मार्ग का जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण किया जाना है। जखारी डुण्डा ग्राम का एक तोक है, जो कि डुण्डा ब्लॉक से केवल 4.00 किमी० की दूरी पर होने के बाद भी अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। मोटर मार्ग के अभाव में ग्रामवासियों को यह दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है, जिस कारण ग्रामवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की घोषणा संख्या-917/2015 के उपरान्त शासन के पत्रांक-5988/111(2) 15-11 (मु०मं०धो०)/2015 दिनांक 18.08.2015 द्वारा डुण्डा कुराह मोटर मार्ग का जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग (7.00 किमी०) का नव निर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु रु० 31.36 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के 7.00 किमी० लम्बाई में तथा डुण्डा कुराह मोटर मार्ग का जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक निर्माण हेतु 5.117 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। जिसका प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/28906/2017 है। दिनांक 29.07.2019 में सम्पन्न आर०ई०सी० कमैटी की बैठक तथा कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक- 2074/FP/UK/ROAD/28906/2017 देहरादून दिनांक 13.02.2020 द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है तथा पुनः केवल जखारी (बैठक के कार्य वृत्त में गलती से ओल्टा लिखा गया है, जबकी प्रदर्शित निर्देशांक जखारी के हैं) तक प्रस्ताव को पुनरीक्षित करने हेतु लिखा गया है। जिसके क्रम में पुनः संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही वन विभाग, राजस्व विभाग तथा लो०नि०वि० उत्तरकाशी द्वारा 04.06.2020 से 07.06.2020 के बीच किया गया। मोटर मार्ग में वृक्षों की गणना 7.00 मीटर चौड़ाई में किया गया, जिसके समरेखण में 2.625 किमी० में आरक्षित वन भूमि, 0.375 किमी० में सिविल सोयम भूमि तथा 0.425 किमी० में नाप भूमि आती है। आरक्षित वन भूमि में दो डम्पिंग स्थल हेतु 0.20 है० चयनित की गई है तथा एक डम्पिंग स्थल हेतु 0.10 है० नाप भूमि में लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.84 है० आरक्षित वन भूमि, 0.26 है० सिविल वन भूमि, 0.38 है० नाप भूमि आ रही है। इस प्रकार मोटर मार्ग में कुल 2.04 है० आरक्षित वन भूमि, 0.26 है० सिविल सोयम भूमि, 0.48 है० नाप भूमि की आवश्यकता होगी। मोटर मार्ग के निर्माण में विभिन्न प्रजाति के 437 वृक्ष पड़ रहे हैं। मोटर मार्ग निर्माण हेतु उक्त वृक्षों को घातन किया जाना अति आवश्यक है।

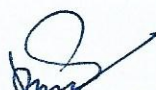
वैकल्पिक समरेखण में मार्ग की लम्बाई 4.50 किमी० आती है। जिसमें मोटर मार्ग के निर्माण करने पर 2.84 है० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी, अधिक वन भूमि के प्रभावित होने के कारण 502 वृक्ष के भी प्रभावित होने की सम्भावना है। इस समरेखण के बीच में 300 मी० लम्बाई में उद्यान विभाग की भूमि भी आ रही है, जिसके कारण 0.21 है० उद्यान विभाग की भूमि भी प्रभावित होगी। इस समरेखण में मोटर मार्ग की लम्बाई अधिक आने के साथ-साथ अधिक वन भूमि भी प्रभावित हो रही है, साथ ही उद्यान विभाग की भूमि भी आ रही है। इस समरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा भी असहमती है। जिस कारण इस समरेखण को निरस्त कर दिया है।

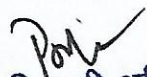
उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के उपरान्त जखारी को यातायात की सुविधा मिलेगी तथा गांव विकास खण्ड डुण्डा से जुड़ जायेगा। मोटर मार्ग निर्माण कार्य में पड़ने वाली वन भूमि 2.30 है० का विवरण निम्न प्रकार है।

मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि — 1.84 है०
 मार्ग निर्माण हेतु सिविल वन भूमि — 0.26 है०
 डम्पिंग जोन हेतु आरक्षित वन भूमि — 0.20 है०
 कुल वन क्षेत्रफल — 2.30 है०

उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव चेक लिस्ट के आधार पर गठित किया गया है। अतः मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.30 है० वनभूमि लो०नि०वि०, उत्तरकाशी के पक्ष में हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।


 सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०,
 उत्तरकाशी


 वन क्षेत्राधिकारी
 डुण्डा वन राजि


 अधिशासी अभियन्ता
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०,
 उत्तरकाशी